**हिलेरी क्लिंटन नर्सिंग स्कूल रामरती एजुकेशन काम्लेक्स, रामपुर मनिहारन, सहारनपुर संस्था में अध्ययरत ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 छात्र–छात्राओं को शेखुल हिन्द मौलाना महमूद हसन मेडिकल कालेज, सहारनपुर में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान कराये जाने हेतु अनुमति पत्र।**

प्रधानाचार्य हिलेरी क्लिंटन नर्सिंग स्कूल रामरती एजूकेशन काम्प्लेक्स, रामपुर मनिहारन, सहारनपुर के पत्र दिनांक 16/11/2018 जिसके द्वारा हिलेरी क्लिंटन नर्सिंग स्कूल, सहारनपुर में ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 छात्र–छात्राओं को शेखुल हिन्द मौलाना महमूद हसन मेडिकल कालेज, सहारनपुर में व्यावहारिक प्रशिक्षण कराये जाने की अनुमति हेतु अनुरोध किया गया था के क्रम में उ0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 के आदेश संख्या–1178/71–2–2015/एन–75/2014, दिनांक–01 अप्रैल, 2015 एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवंप्रशिक्षण, उ0प्र0 के आदेश संख्या–एमई–1/क/2015/979, दिनांक–06.04.2015 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार, आवेदक संस्था द्वारा यदि राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर में अतिरिक्त व्यावहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता प्रतीत होती है, तो मुख्य चिकित्साधिकारी, सहारनपुर द्वारा निर्धारित व्यावहारिक प्रशिक्षण से सम्बन्धित शर्तो के अनुरूप व्यवस्था शेखुल हिन्द मौलाना महमूद हसन मेडिकल कालेज, सहारनपुर में हिलेरी क्लिंटन नर्सिंग स्कूल रामरती एजूकेशन काम्लेक्स, रामपुर मनिहारन, सहारनपुर संस्था के ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 छात्र–छात्राओं को उन्ही निम्नलिखित शर्तो के अधीन अतिरिक्त व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु प्रदान की जाती है।

- ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 छात्र–छात्राओं की ड्यूटी मेडिकल कालेज चिकित्सालय पर नियमित रूप से कार्यरत उपचारिकाओं के साथ लगायी जाएगी जिससे रोगियों को चिकित्सीय सुविधा सुचारू रूप से प्राप्त होगी। यदि कोई दुर्घटना/रोगियों को क्षति घटित होती है तो उक्त के विरूद्ध कार्यवाही हेतु अधोहस्ताक्षरी सम्बन्धित संस्था को पत्र प्रेषित कर कार्यवाही की संस्तुति करेंगें एवं हुई एवं हुई दुर्घटना के लिए सम्बन्धित संस्था उत्तरदायी होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति संस्था को करनी होगी।
- छात्र–छात्राओं को प्रशिक्षण दो बैंच बनाकर दिया जाय।
- प्रत्येक बैंच का प्रशिक्षण एक–एक माह की अवधि का होगा।
- प्रत्येक छात्र नियमित रूप से उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। उनकी उपस्थिति का दायित्व संस्था का होगा।
- प्रशिक्षण अवधि के दौरान छात्र/छात्राओं को निर्धारित वर्दी पहनना अनिवार्य होगा।
- प्रशिक्षण उपरान्त अधीक्षक, शेखुल हिन्द मौलाना महमूद हसन मेडिकल, सहारनपुर से प्रमाण प्राप्त किया जायेगा।
- यदि कोई छात्र/छात्रा अनुपस्थिति पाये जाते है तो उनको प्रमाण–पत्र उपलब्ध नही कराया जायेगा।
- आपकी संस्था प्रति प्रशिक्षणार्थी रु0 1000/– राजकीय कोष में जमा कराना होगा।
- उक्त अतिरिक्त व्यावहारिक प्रशिक्षण की प्रदान की गयी अनुमति को कभी भी बिना कोई कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।
- संस्था को उपरोक्त शर्तो एवं प्रतिबन्धों से सहमति की दशा में रु0 100/– के स्टाम्प पेपर पर उक्त शर्तो का अंकन करते हुए सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

16/1/19
Copy to MS office.

प्रधानाचार्य
शेखुल हिन्द मौलाना महमूद हसन मेडिकल कालेज ,
सहारनपुर।

संख्याः– रा0मे0का0स0/2018/2057 दिनांक :– 03/12/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सहारनपुर
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहारनपुर।
5. अध्यक्ष/प्रधानाचार्य, हिलेरी क्लिंटन नर्सिंग स्कूल, रामरती एजूकेशन, रामपुर मनिहारन, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

प्रधानाचार्य
शेखुल हिन्द मौलाना महमूद हसन मेडिकल कालेज ,
सहारनपुर।